आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

25/6/19

न्यायालय आरबीट्रेटर–सह– अपर समाहर्त्ता, पटना

विवाचन वाद सं०–04/2015

श्रीमति उर्मिला सिन्हा बनाम परियोजना निदेशक NHAI वो अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमति उर्मिला सिन्हा पति मुन्शी सिन्हा, साकिन–नत्थुपुर,पोस्ट–कुरथौल, थाना–परसाबाजार, जिला–पटना द्वारा परियोजना–एन० एच०–83 पटना–गया–डोभी फोरलेन अन्तर्गत LA Case No-65/2012-13 मौजा–धरहरा, थाना नं०–41, खाता सं०–199, 204 खेसरा सं०–1022, 1023, 1025 रकवा क्रमशः 0.18 एकड़ 0.071659 एकड़ एवं 0.095 एकड़ के मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित भूमि की प्रकृति पर आपत्ति के आलोक दायर विवाचन वाद के आलोक में प्रारंभ की गई हैं।

विषयगत भूमि से संबंधित भू–अर्जन की कार्यवाही निम्न प्रकार से की गई है:–

1. NH Act की धारा 3A के तहत अधिसूचना–18.06.2012
2. NH Act की धारा 3A के तहत अधिसूचना का पेपर प्रकाशन–23.07.12
3. NH Act की धारा 3D के तहत अधिघोषणा–15.03.2013
4. NH Act की धारा 3(D)के तहत अधिघोषणा का पेपर प्रकाशन–20.04.13
5. निर्धारित/स्वीकृत दर मो०–20,00,000.00 रूपये प्रति एकड़

(दर निर्धारण की कार्रवाई विभागीय निदेशानुसार अर्जित भूमि के दर निर्धारण हेतु छः सदस्यीय समिति के गठन कर समिति द्वारा किए गए भूमि की प्रकृति की अनुशंसा के आधार पर किया गया)

6. NH Act की धारा–3जी0 के तहत प्राक्कलन की स्वीकृति की तिथि–20.11.13
7. दखल–कब्जा की तिथि–10.06.2014
8. संशोधित दर–3000000.00 प्रति एकड़।
9. संशोधित 3जी प्राक्कलन स्वीकृति की तिथि–06.02.2017

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत दाखिल वाद आवेदन में वादी द्वारा दावा किया गया है कि उनकी भूमि व्यवसायिक प्रकृति की है तथा सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा उक्त व्यवसायिक भूमि को कृषि भूमि के रूप में निर्धारण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है जो गलत है। वादिनी द्वारा अपने आवेदन में आगे कहा गया है कि 1,25,000.00/प्रति डी० की दर से पूर्व में ही खरीद बिक्री वहां पर चल रही थी, परन्तु भू–अर्जन द्वारा भू–अर्जन से प्रभावित उनकी भूमि के लिए मात्र 20,000.00 रूपये प्रति डी० की दर से भुगतान किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के दिनांक–09.09.17 के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि L.A Case No-65/2012-13 द्वारा परियोजना एन०एच०–83 पटना–गया–डोभी खण्ड निर्माण अन्तर्गत मौजा–धरहरा, थाना नं०–41 में अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु दर निर्धारण के लिए राजस्व विभागीय पत्रांक–1212/रा०, दिनांक–01.08.2008 एवं 1002/रा०, दिनांक–10.10.2009 के आलोक में समाहर्त्ता पटना की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया उक्त समिति द्वारा दिनांक–06.01.2012 को स्थल निरीक्षण के पश्चात् विषयगत मौजा में अर्जित की जा रही भूमि को कृषि प्रकृति के रूप में रखते हुए दर निर्धारण का अनुशंसा किया गया । उक्त के आलोक में ही प्रभावित रैयतों को अर्जित रकवा का मुआवजा राशि के लिए दर का निर्धारण कर भुगतान की कार्रवाई की गई है। वादिनी को खेसरा सं०–1022, रकवा–0.18 एकड़ के लिए मो०–9,28,800.00, खेसरा सं०–1023, रकवा–0.071659 एकड़ के लिए मो०–3,69,760.00 एवं खेसरा सं०–1025, रकवा–0.095 एकड़ के लिए मो०–4,90,200.00 रूपये का भुगतान 20,00,000.00 (बीस लाख रूपये) प्रति एकड़ की दर से तथा पुनः संशोधित दर मो०–30,00,000.00 (तीस लाख रूपये) प्रति एकड़ तथा गुणक–2 एवं सोलेशियम राशि एवं सूद के साथ खेसरा सं०–1022 में 14,20,254.00, खेसरा सं०–1023 में 5,65,411.00 एवं खेसरा सं०–1025 में 7,49,579.00 रूपये अतिरिक्त शेष राशि का उनके अंश रकवा के लिए भुगतान कर दिया गया है। वादनी सुनवाई के क्रम में लगातार अनुपस्थित रही है, जिससे प्रतीत होता है कि वादनी को संशोधित दर पर मुआवजा भुगतान प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त मुआवजा राशि से संतुष्ट है तथा अब उन्हे उनके द्वारा लाए गए प्रस्तुत वाद में कोई अभिरूचि नही रह गई है। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आरबीट्रेटर –सह– अपर समाहर्त्ता, पटना।	